राजस्व अपील संख्या : 13 / 2024

उनवान : दलाराम बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 81

अपीलाण्ट :–

दलाराम पुत्र अचलाराम जाति सीरवी चौधरी निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली हाल निवासी 54 / 1 बधे बस्ती, केशवनगर, पूणे महाराष्ट्र

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. पवनी पत्नी अचलाराम जाति सीरवी निवासी गजनीपुरा रोड़ खिवाडा तहसील रानी जिला पाली राज.
2. दाकु देवी पुत्री अचलाराम
3. भीकी पुत्री अचलाराम जाति सीरवी निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
4. सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा कोटडी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1059 दिनांक 23.05.2023 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीपसिंह चौहान।
3. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता निशा परमार।

–:निर्णय:–

दिनांकः 30.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा कोटडी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1059 दिनांक 23.05.2023 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत पार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कोटडी तहसील देसूरी की राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न विवरण की कृषि भूमि आई हुई है:–

खाता संख्या 09

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
765	0.9000 हैक्टेयर	बारानी अव्वल
929 / 769	0.0400 हैक्टेयर	बारानी अव्वल
कुल क्षेत्रफल :	**0.9400 हैक्टेयर**	

खाता संख्या 152

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
259	2.7100 हैक्टेयर	जाव दोयम
260	1.4200 हैक्टेयर	जाव दोयम

अतिरिक्त जिला कलक्टर

राजस्व अपील संख्या : 13/2024

उनवान : दलाराम बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

261	0.0100 हैक्टेयर	गै.मु. बेरा
262	0.1100 हैक्टेयर	गै.मु. सडा
263	1.1900 हैक्टेयर	जाव दोयम
264	1.0000 हैक्टेयर	जाव दोयम
265	1.1300 हैक्टेयर	जाव दोयम
266	1.1800 हैक्टेयर	जाव दोयम
कुल क्षेत्रफल :	**9.8600 हैक्टेयर**	

खाता संख्या 156

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
47	1.7400 हैक्टेयर	चाही दोयम जाव दोयम
51	1.9300 हैक्टेयर	चाही दोयम जाव दोयम
कुल क्षेत्रफल :	**3.6700 हैक्टेयर**	

खाता संख्या 253

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
48	0.0100 हैक्टेयर	गै.मु. बेरा
49	0.0800 हैक्टेयर	गै.मु. सडा
कुल क्षेत्रफल :	**0.0900 हैक्टेयर**	

खाता संख्या 418

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
1089/807	2.1700 हैक्टेयर	बारानी अव्वल
कुल क्षेत्रफल :	**2.1700 हैक्टेयर**	

खाता संख्या 419

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
1088	2.1700 हैक्टेयर	बारानी अव्वल
कुल क्षेत्रफल :	**2.1700 हैक्टेयर**	

उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमियां अपीलार्थी के पिता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के पिता अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी एवं अन्यो की कब्जाशुदा सहखातेदारी की स्थित रही है। उक्त कृषि भूमियों के खातेदार/सहखातेदार अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी का स्वर्गवास निर्वसीयती हुआ है, जिससे उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमियों के खातेदार/सहखातेदार अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी को निहित रहे सहखातेदारी के सम्पूर्ण हक हकूक उनके वारिसान अपीलार्थी अचलाराम, रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन नाम क्रमशः दाकु व भीकी को निहित हुए। उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन का कब्जा सहखातेदारान की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है।

उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी के स्वर्गवास के बाद अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1059 की कार्यवाही सम्पन्न करवा कर दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 13/2024
उनवान : दलाराम बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

23.05.2023 को स्वयं के हक में स्वीकृत करवा कर स्वयं का नाम भू–अधिकार अभिलेखों में प्रविष्ट करवाया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने हल्का पटवारी कोटडी के साथ मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 1059 खुलवाया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या तीन तहसीलदार देसूरी से अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला तथाकथित तौर से स्वीकृत करवाया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को इन्टरनेट से जमाबंदी खेवट खतौनी 01 फरवरी 2024 को प्राप्त कर सरसरी तौर से किये गये अवलोकन से हुई एवं उसके बाद अपीलाण्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.05.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि इन्टरनेट से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने के पश्चात उसी रोज जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने से नामान्तरकरण कार्यवाही की पूर्ण जानकारी अपीलाण्ट को हुई, ग्राम कोटडी के नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.06.2023 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील बिना देरी के निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. ग्राम कोटडी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.06.2023 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के हितों के विरुद्ध कानुनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है।
2. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवन उर्फ पवनी पत्नी अचलाराम सीरवी निवासी गजनीपुरा रोड़ खिवाडा के नाम से स्व. अचलाराम के परिवार में कोई सदस्य नहीं है। इसके बावजुद रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवनी द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन को उत्तराधिकार में निहित हक हिस्से की कृषि भूमि हड़पने के नापाक उद्देश्य से सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी एवं हल्का पटवारी कोटडी के साथ मिलकर षडयन्त्र रचकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1059 अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला स्वयं के हक में खुलवाया है एंव षडयंत्र में सरपंच कोटडी को सम्मिलित कर स्वीकृत करवाया है।
3. यह कि ग्राम कोटडी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.06.2023 बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या चार ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन को सूचना दिये बगैर बिना किसी जांच व आधार के पारित कर स्वीकृति किया जो विधि के सर्वथा विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य है।
4. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवन उर्फ पवनी पत्नी अचलाराम सीरवी निवासी गजनीपूरा रोड़ खिवाडा ने स्व. शेषारामजी के जीवनकाल में ही श्री अचलाराम पुत्र लच्छाजी सीरवी निवसी गजनीपुरा रोड़ खिवाडा तहसील रानी के द्वितीय से विवाह कर लिया था। स्व. शेषाराम एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक के दाम्पत्य जीवन से किसी सन्तान का जन्म नही हुआ। इस प्रकार स्व. शेषाराम के कोई वारिसान नही है। इसके बावजुद स्व. रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवनी ने उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियां को हड़पने के उद्देश्य से स्वयं के नाम पर स्व. शेषाराम का उत्तराधिकार नामान्तरकरण खुलवाया जिससे भी अपील काबिल स्वीकृत है।
5. यह कि उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि आराजी से संबंधित जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1059 के संबंध में पारित स्वीकृति आदेश विधि के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकुल होने से प्रभावहीन एवं स्वतः अवैध है।
6. यह कि उत्तराधिकार से संबंधित नामान्तरकरण की कार्यवाही में मुख्य रुप से उत्तराधिकारियों की जांच किया जाना महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसके अभाव में कोई भी नामान्तरकरण स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली (पाली)

राजस्व अपील संख्या : 13/2024

उनवान : दलाराम बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

7. यह कि जैर अपील आलोच्य कार्यवाही आदेश नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व अथवा स्वीकृति से पहले अपीलार्थी को सूचना पत्र दिया जाना कानूनन आवश्यक था, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण को सूचित नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की है जिससे भी अपीलार्थी की उक्त अपील काबिल स्वीकृत है।
8. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवनी एवं सरपंच कोटडी ने अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के विरुद्ध साजिश रचकर आपराधिक छल कपट एवं धोखाधडी कर नामान्तरकरण कार्यवाही अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला सम्पन्न करवाई है, जो कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित है।
9. यह कि उक्त अपील स्व. अचलाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण से सम्बन्धित होने के मात्र स्व. अचलाराम के वारिसानों को ही पक्षकार बनाया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम कोटडी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1059 के स्वीकृति बाबत पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 को निरस्त फरमाया जाए एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या दो व तीन के नाम नामान्तरकरण कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत पार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह कि पटवार हल्का कोटडी से अपीलाण्ट द्वारा ग्राम कोटडी में स्थित कृषि भूमि की जमाबंदी खेवट खतौनी 01.02.2024 को प्राप्त कर सरसरी तौर से किये गये अवलोकन से एवं उसके बाद अपीलाण्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1059 की स्वीकृति दिनांक 23.05.2023 की प्रति इन्टरनेट से प्राप्त किये जाने के पश्चात उसी रोज जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने से नामान्तरकरण कार्यवाही की पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को हुई है।
2. यह कि नामान्तरकरण संख्या 1059 की स्वीकृति दिनांक 23.05.2023 की प्रति प्राप्त होते ही श्रीमान न्यायालय में उक्त अपील विधिक सलाह लेकर पेश की जा रही है जो अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जा रही है, जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को शमन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
3. यह कि अपीलार्थी की अपील मेरिट पर काबिल स्वीकृत है एवं नामान्तरकरण संख्या 1059 की स्वीकृति दिनांक 23.05.2023 की कार्यवाही के दौरान सूचना नहीं दिए जाने से भी अवधि के संबंध में नरम रुख अपनाया जाकर अपील अन्दर अवधि काल माना जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को पेश करने में अपीलाण्ट को जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब को माफ कर अवधिकाल में मानने की आज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि अपील के पद संख्या एक में वर्णित कथन सही व सत्य होने से स्वीकार है।
2. यह है कि अपील के पद संख्या दो का जवाब यह है कि ग्राम कोटडी, तहसील देसूरी की राजस्व सीमा क्षेत्र में कृषि भूमि के खसरा नम्बर 765, 929/769, 259, 260, 261 लगाय 266, 47, 71, 48, 49, 1089/807, 1088/807 में आयी हुई स्थित है। उक्त आराजी की कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के ससुर स्व. अचलाराम पुत्र रताराम निवासी कोटडी व अन्य की सहखातेदारी की रही है जो स्वीकार है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार अचलाराम पुत्र रताराम निवासी कोटडी का स्वर्गवास निर्वसीयत हो गया है। जिससे उक्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 का नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला ही रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपना दर्ज

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 13/2024

उनवान : दलाराम बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

करवा दिया है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 का भी नाम उनके साथ दर्ज होना था। जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 का भी नाम उनके साथ दर्ज होना था। जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या एक का नाम हटाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। स्व. शेषाराम पुत्र अचलाराम जी जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पति है जिनका स्वर्गवास हो गया है। प्रमाण में जवाब के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न है। जिसके अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के अनुसार प्रथम प्रोथी की उत्तराधिकारी नहीं है। जिससे भी उक्त जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाना न्याय हित में है।

3. यह है कि अपील के पद संख्या 03 में अंकित तथ्य सही होने से स्वीकार है।
4. यह है कि अपील के पद संख्या 04 का जवाब यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का नाम गलत रुप से इन्द्राज हो गया है जो कानुन के विपरित किया गया है।

अतः रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैकि उक्त नामान्तरकरण को नये सिरे से खोला जाकर उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या एक का नाम हटाये जाने का आदेश पारित करावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि:–

1. ग्राम कोटडी तहसील देसूरी की राजस्व सीमा क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 765, 929/769, 259, 260, 261 लगाय 266, 47, 51, 48, 49, 1089/807, 1088/807 आयी हुई स्थित है। उक्त विवरण की कृषि भूमिया अपीलार्थी के पिता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो पिता के अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी एवं अन्यो की कब्जाशुदा/सहखातेदार एवं अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी का स्वर्गवास निर्वसीयती हुआ है, जिससे उपरोक्त उल्लेखित विवरण की कृषि भूमियों के खातेदार/सहखातेदार एवं अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी को निहित रहे सहखातेदारी के सम्पूर्ण हक हकूक उनके वारिसान अपीलार्थी अचलाराम, रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन नाम क्रमशः दाकु व भीकी को निहित हुए। उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो का कब्जा सहखातेदारान की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। स्व.अचलाराम पुत्र रताराम का वंश वृक्ष निम्नानुसार रहा है:–

अचलाराम पुत्र रताराम

लाली देवी	**भीकी देवी**	**दाकु देवी**	**शेषाराम**	**दलाराम**
पत्नी फौत	**पुत्री**	**पुत्री**	**पुत्र फौत**	**पुत्री**
			पवनी	
			पत्नी	

इस प्रकार अपीलार्थी दलाराम हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व. अचलाराम के प्रथम श्रेणी का वारिस है।

2. यह कि उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार अचलाराम पुत्र रताराम सीरवी निवासी कोटडी के स्वर्गवास के बाद अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला सम्पन्न करवा कर दिनांक 23.05.2023 को स्वयं के हक में स्वीकृत करवा कर स्वयं का नाम भू अधिकार अभिलेखों में प्रविष्ट करवाया है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 1059 खुलवाया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या तीन बाला बाला तथाकथित तौर स्वीकृत करवाया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को इन्टरनेट से जमाबंदी खेवट खतौनी 01 फरवरी 2024 को प्राप्त कर सरसरी तौर से किये गये अवलोकन से हुई एवं उसके बाद अपीलाण्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.05.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि इन्टरनेट से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने के पश्चात उसी रोज जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने से नामान्तरकरण कार्यवाही की पूर्ण जानकारी अपीलाण्ट को हुई, ग्राम कोटडी के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 13/2024

उनवान : दलाराम बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.06.2023 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है।

3. यह कि ग्राम कोटडी तहसील के नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.06.2023 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध,शुन्य एवं निष्प्रभावी है।
4. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवन उर्फ पवनी पत्नी स्व. शेषाराम सीरवी निवासी गजनीपुरा रोड़ खिवाडा के नाम से स्व. अचलाराम के परिवार में कोई सदस्य नही है। इसके बावजुद रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवनी द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन को उत्तराधिकार में निहित हक हिस्से की कृषि भूमि हड़पने के नापाक उद्देश्य से सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी एवं हल्का पटवारी कोटडी के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1059 अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला स्वयं के हक में खुलवाया है। एवं उक्त षडयंत्र में सरपंच कोटडी को सम्मिलित कर स्वीकृत करवाया है।
5. यह कि ग्राम कोटडी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1059 स्वीकृति दिनांक 23.06.2023 बाबत रेस्पोडेण्ट संख्या चार ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन को सूचना दिये बगैर बिना किसी जांच व आधार के पारित कर स्वीकृति किया जो विधि के सर्वथा विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य है।
6. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवन उर्फ पवनी पत्नी शेषाराम सीरवी निवासी गजनीपूरा रोड़ खिवाडा ने स्व. शेषाराम के जीवनकाल में ही श्री अचलाराम पुत्र लच्छाजी सीरवी निवासी गजनीपुरा रोड़ खिवाडा तहसील रानी के द्वितीय विवाह कर लिया था। स्व. शेषारा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक के दाम्पत्य जीवन से किसी सन्तान का जन्म नही संख्या एक पवनी के नाम स्व. शेषाराम का उत्तराधिकार नामान्तरकरण खोल कर भारी भूल की है।
7. यह कि उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि आराजी से संबंधित जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1059 के संबंध में पारित स्वीकृति आदेश विधि के प्रावधानो के सर्वथा प्रतिकुल होने से प्रभावहीन एवं स्वतः अवैध है।
8. यह कि उत्तराधिकार से संबंधित नामान्तरकरण की कार्यवाही में मुख्य रुप से उत्तराधिकारियों की जांच किया जाना महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसके अभाव में कोई भी नामान्तरकरण स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता है।
9. यह कि जैर अपील आलोच्य कार्यवाही आदेश नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व अथवा स्वीकृति से पहले अपीलार्थी को सूचना पत्र दिया जाना कानूनन आवश्यक था, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण को सूचित नही कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी की है जिससे भी अपीलार्थी की उक्त अपील काबिल स्वीकृत है।
10. यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक पवनी एवं सरपंच कोटडी ने अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के विरुद्ध साजिश रचकर आपराधिक छल कपट एवं धोखाधडी कर नामान्तरकरण कार्यवाही अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के बाला बाला सम्पन्न करवाई है जो कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम कोटडी तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 1059 के स्वीकृति बाबत पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 को निरस्त फरमाया जावें। रेस्पोडेण्ट संख्या दो पवनी पत्नी अचलाराम का नाम विलोपित किया जावे एवं प्रार्थी दलाराम एवं स्व. अचलाराम के अन्य वारिसान के हक में नये सिरे से नामान्तरकरण कार्यवाही सम्पन्न करावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 13/2024

उनवान : दलाराम बनाम पवनी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन वक़्त बहस अनुपस्थित। काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या एक, जिनके विरुद्ध ही अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है, ने अपील में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार करने तथा माफ़िक अपील मीमों जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मियाद प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का अप्रार्थी द्वारा कोई प्रतिकार या खण्डन नहीं करने तथा पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य जिसके आधार पर प्रतिकूल उपधारणा की जा सके, नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री अचलाराम पुत्र रता, निवासी कोटडी की मृत्यु पर दर्ज फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1059 में उक्त स्व. श्री अचला के पुत्र (अपीलार्थी) एवं दोनो पुत्रियों यानि अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के साथ साथ स्व. अचला के पूर्व में फौत हो चुके पुत्र स्व. शेषाराम की पत्नी अर्थात स्व. अचला की पुत्रवधु अप्रार्थिया श्रीमती पवनी के नाम की प्रविष्टि की गई जिसे अपीलार्थी द्वारा चुनौति दी गई है। उक्त अप्रार्थिया श्रीमती पवनी उर्फ पवन द्वारा पस्तुत इकबालिया जवाबपत्र के उपरान्त यह स्वीकार्य स्थिति है कि अपने पति की मृत्यु उपरान्त एवं ससुर के जीवनकाल में ही अप्रार्थिया द्वारा पुनर्विवाह कर दिया गया था तथा इस प्रकार पति की मृत्यु उपरांत अप्रार्थिया का जैर अपील कृषि आराजी में वैधानिक हक हकूक समाप्त हो गये थे।

वैधानिक स्थिति यह है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानान्तर्गत पति की मृत्यु उपरान्त विधवा पत्नी द्वारा पुनर्विवाह किये जाने की स्थिति में पूर्व पति की पुश्तैनी सम्पति में वैधानिक हक हकूक की उपधारणा नहीं की जा सकती।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान "गुलाब बनाम राजस्व मण्डल व अन्य" 2006 (2) RRT 1085 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान " Kasturi Devi Vs. DY. Director, commission ALR 1976 SC 2595 में प्रदत्त निर्णयों में इसी वैधानिक सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत पटवार मण्डल कोटडी के नामान्तरकरण 1059 दिनांक 23.05.2023 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण तहसीलदार देसूरी को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि श्रीमती पवनी पत्नी स्व. शेषाराम का नाम विलोपित करते हुए स्व. अचलाराम पुत्र रताराम के वैध वारिसों के नाम पुनः नामान्तरकरण की नऐसर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली